रजिस्ट्री सं. डी.एल.–33002/99 भारत सरकार REGISTERED No. D.L.-33002/99

GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र

सत्यमेव जयते

Delhi Gazette

असाधारण

EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 232]	दिल्ली, शुक्रवार, जून 23, 2017/आषाढ़ 2, 1939	[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 118
No. 232]	DELHI, FRIDAY, JUNE 23, 2017/ASADHA 2, 1939	[N.C.T.D. No. 118

भाग—IV

PART—IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार

GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

गृह (पुलिस–II) विभाग

(कार्यालय उपायुक्त पुलिसः यातायातः मुख्यालय : दिल्ली)

अधिसूचनाएं

दिल्ली, 22 जून, 2017

सं.फा.20/4/2003/गृ.पु.–II/5192.—जबकि, आगरा कैनाल रोड, कालिंदी कुंज से फरीदाबाद बार्डर तक भारी, मध्यम एवम् हल्के मालवाहक मोटर वाहनों के आवागमन के कारण यातायात के सुगम प्रवाह में बाधा उत्पन्न हो रही है और इससे अन्य सड़क प्रयोगकर्ताओं को असुविधा उत्पन्न हो रही है;

और जबकि, यातायात के सुगम प्रवाह को सुनिश्चित करने और वाहन चालकों एवं अन्य सड़क प्रयोगकर्ताओं की सुविधा एवं सुरक्षा के लिए उपरोक्त सड़क पर यातायात के आवागमन को नियंत्रित करने के लिए यह करना आवश्यक है;

अतः मैं, असलम खान, उपायुक्त पुलिस, यातायात (मुख्यालय) दिल्ली, दिल्ली में सड़कों व गलियों पर वाहन व अन्य यातायात नियम, 1980 की धारा 30(1) जैसा कि अधिसूचना संख्या 03/विशेष कक्ष/पुलिस मुख्यालय, दिल्ली दिनाँक 03.01.1997 द्वारा संशोधित किया गया है, जिसके अन्तर्गत मुझे अधिकार प्राप्त हैं, का प्रयोग करते हुए आगरा कैनाल रोड पर, कालिंदी कुंज से फरीदाबाद बार्डर तक भारी, मध्यम एवम् हल्के मालवाहक मोटर वाहनों (तीन पहियां हल्के मालवाहक मोटर वाहनों को छोड़कर) के प्रवेश करने, चलने एवं खड़े करने को अगले आदेश तक प्रातः 07.00 बजे से 11.00 बजे तक एवं सांय 5.00 बजे से रात्रि 11.00 बजे तक, प्रतिबंधित करती हूँ।

सामान्य जनता के सूचनार्थ इस आदेश को सरकारी राजपत्र में प्रकाशित किया जाएगा तथा समस्त जिला पुलिस उपायुक्तों व थानों दिल्ली/नई दिल्ली के सूचना पट्टों पर इसकी एक प्रति चिपकाई जाएगी ।

संबंधित अधिकरण एवम् सड़क रख–रखाव प्राधिकरण जन साधारण को सूचनार्थ एवम् सुविधा हेतु आवश्यक संकेत पट्ट पर प्रतिबंधित सकेत को इंगित करते हुए लगाएंगे।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा ।

मेरे द्वारा इस कार्यालय की मोहर के साथ दिनाँक22/06/2017 को जारी किया गया ।

HOME (POLICE-II) DEPARTMENT

(OFFICE OF THE DEPUTY COMMISSIONER OF POLICE: TRAFFIC: HQ.DELHI)

NOTIFICATIONS

Delhi, the 22nd June, 2017

F. No. 20/4/2003/HP-II/5192.—Whereas, the movement of HGVs, MGVs and LGVs on Agra Canal Road from Kalindi Kunj to Faridabad Border is causing obstruction in smooth flow of traffic and inconvenience to other road users.

And whereas, it is necessary to regulate the movement of traffic on the above mentioned road to ensure smooth flow of traffic and for convenience and safety of motorists and other road users.

Now, therefore, I, Aslam Khan, Deputy Commissioner of Police/Traffic (HQ), Delhi in exercise of the powers, conferred upon me under Regulation 30(1) of "The Delhi Control of Vehicular and Other Traffic on Roads and Streets Regulations, 1980" as amendment vide notification No. 03/Spl. Cell/PHQ, dated 03.01.1997, do hereby prohibit the entry, plying and idle parking of HGVs, MGVs and LGVs (excluding 3-wheeled light goods vehicles) on Agra Canal Road from Kalindi Kunj to Faridabad Border from 07.00 AM to 11.00 AM and 05.00 PM to 11.00 PM, till further orders.

This order shall be published for the information of the general public in the official gazette and by affixing a copy on the notice boards of the office of all District Deputy Commissioner of Police and all Police Stations in Delhi/New Delhi.

The concerned civic road agencies maintaining the roads/areas shall erect the corresponding informatory signboards indicating the restrictions in the area for the guidance and convenience of all concerned.

This order shall come into force with immediate effect.

Given under my hand and seal of this office on 22/06/2017.

सं.फा.20/4/2003/गृ.पु.–II/5193.—क्योंकि सरोजनी नगर क्षेत्र और बाबा खड़क सिंह मार्ग, शिवाजी स्टेडियम के आस–पास के क्षेत्र में अव्यवस्थित एवं अनाधिकृत रूप से वाहनों के खड़े होने के कारण यातायात के सुगम एवं सुरक्षित प्रवाह में बाधा उत्पन्न हो रही है तथा मोटर वाहन चालको एवं अन्य सड़क प्रयोगकर्ताओं को असुविधा हो रही है ।

और क्योंकि उपरोक्त समस्याओं को ध्यान में रखते हुए यातायात को सुचारू रूप से चलाने व सड़क प्रयोगकर्ताओं की सुरक्षा एवम् सुविधा के लिए उपरोक्त वर्णित क्षेत्रों में अनाधिकृत रूप से वाहनों के खड़े होने पर नियंत्रण लगाना आवश्यक है ।

अतः मैं, असलम खान, उपायुक्त पुलिस, यातायात (मुख्यालय) दिल्ली, दिल्ली में सड़कों व गलियों पर वाहन व अन्य यातायात नियम 1980 की धारा 3(3) जिसके अन्तर्गत मुझे अधिकार प्राप्त हैं, का प्रयोग करते हुए एतद्द्वारा सभी प्रकार के वाहनों के लिए निम्नलिखित सड़कों पर 'पार्किंग निषेध क्षेत्र' (अधिकृत पार्किंग स्थलों को छोड़कर) घोषित करती हूँ अगले आदेश तक :–

क्र. सं.	सड़क का नाम	प्रतिबंधित समय
1.	सरोजनी नगर क्षेत्र – जी एवेन्यु रोड, एच एवेन्यु रोड, सैकण्ड क्रास रोड, थर्ड क्रास रोड और सिद्दि विनायक रोड	24 घंटे
2.	बाबा खड़ग सिंह मार्ग और शिवाजी स्टेडियमः– (क) बाबा खड़ग सिंह मार्ग और जैन मंदिर मार्ग	24 घंटे

	(ख) हनुमान मंदिर रोड और एम्पोरियम बिल्डिंग के पीछे वाली सड़क	प्रातः 8 बजे से रात्रि 8 बजे तक

इस कार्यालय द्वारा पूर्व में जारी की गई अधिसूचना संख्या 6146–6295/या. अभि. शाखा (डी–2)/यातायात दिनांक 16.09.2014 जिसके द्वारा कि बाबा खड़ग सिंह मार्ग पर हनुमान मंदिर के नजदीक, आउटर सर्कस कनॉट प्लेस और शिवाजी स्टेडियम मेट्रो स्टेशन के मध्य 24 घंटे 'नो पार्किंग ज़ोन' घोषित किया गया था को निरस्त समझा जाएगा।

सामान्य जनता के सूचनार्थ इस आदेश को सरकारी राजपत्र में प्रकाशित किया जाएगा तथा समस्त जिला पुलिस उपायुक्तों तथा तमाम थानों दिल्ली/नई दिल्ली के सूचना पट्टों पर इसकी एक प्रति चिपकाई जाएगी।

संबंधित अधिकरण एवम् सड़क रख–रखाव प्राधिकरण जन साधारण को सूचनार्थ एवम् सुविधा हेतु आवश्यक संकेत पट्ट प्रतिबंधित संकेत को इंगित करते हुए लगाएंगे।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

मेरे द्वारा इस कार्यालय की मोहर के साथ दिनाँक 22/06/2017 को जारी किया गया।

असलम खान, उपायुक्त पुलिस

F. No. 20/4/2003/HP-II/5193.—Whereas, improper and unauthorized parking of vehicles is causing obstruction in smooth & safe flow of traffic and inconvenience to motorists and other road users in the areas of Sarojini Nagar and adjoining areas of Baba Kharak Singh Marg, Shivaji Stadium etc.;

And whereas in view of the above mentioned problems, it is necessary to control the unauthorized parking of motor vehicles in the above cited areas with an objective to ensure uninterrupted, safe and free management of traffic and safety of motorists and other road users;

Now, therefore, I, Aslam Khan, Deputy Commissioner of Police, Traffic, Headquarters, Delhi in exercise of the powers, conferred upon me under Regulation 3 (3) of Delhi Control of Vehicular and Other Traffic on Roads and Street Regulations, 1980 do hereby restrict the parking of all type of vehicles on the following roads/road stretches in Delhi/New Delhi by declaring the roads as **"No Parking Zone"** (except authorized parking lots) till further orders:—

Sl. No.	Name of Road	Restricted Timings
1.	Sarojini Nagar area - G Avenue Road, H Avenue Road, 2nd Cross Road, 3rd Cross Road and Siddhi Vinayak Road	24 hrs.
2.	Baba Kharak Singh Marg and Shivaji Stadium :- (a) Baba Kharak Singh Marg & Jain Mandir Marg	24 hrs.
	(b) Hanuman Mandir Road & Road behind Emporium Buildings	8.00 AM to 8.00 PM

The earlier Notification issued vide this office No. 6146-6295/TE(D-II)/Traffic dated 16.09.2014 regarding declaration of 'No Parking Zone' on Baba Kharak Singh Marg near Hanuman Mandir, between Outer Circus Connaught Place and Metro Station Shivaji Stadium, New Delhi for 24 hours of the day shall be treated as null & void.

This order shall be published for information of the general public in the official gazette and by affixing a copy on the notice boards of the office of all District Deputy Commissioner of Police and all Police Stations in Delhi/New Delhi.

The concerned civic road agencies maintaining the roads/areas shall erect the corresponding informatory signboards indicating the restrictions in the area for guidance and convenience of all concerned.

This order shall come into force with immediate effect.

Given under my hand and seal of this office on 22/06/2017.

ASLAM KHAN, Dy. Commissioner of Police

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR
Date: 2017.06.30 14:19:12 +05'30'